

मुख्य आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER

सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर

CGST & CENTRAL EXCISE, JAIPUR ZONE, JAIPUR

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

EMAIL: ccu1400@rediffmail.com

(कैडर कंट्रोल यूनिट)

Telefax: 0141-2385813

फा.सं. ग-31(31)सीसीयू/जे.जेड/2021/ 973

दिनांक: 18.10.2021

ज्ञापन

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान पी.बी.-2 रु. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु. 4600/- {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु 44900-142400 में लेवल 7 (Level-7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400)} एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. (ग्रुप-ब, अराजपत्रित) के पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate S/Sh/Ms.	Date of Birth	Category
1	MOHIT BANSAL	05.08.1998	UR
2	NAMRATA SHARMA	12.10.1997	UR
3	VISHAL SHRIMAL	02.07.1993	UR
4	MAHIPAL SINGH SHAKTAWAT	01.02.1995	UR
5	MANISH BHATI	27.10.1992	OBC
6	GOURAV VAISHNAV	25.12.1995	OBC
7	RAHUL	10.05.1998	OBC
8	SAGAR SHARMA	15.10.1995	UR
9	ADITYA CHAUDHARY	10.09.1992	UR
10	MOHIT KUMAR SINGHAL	06.05.1993	UR
11	PRATEEK SHEORAN	01.01.1995	OBC
12	ARVIND KUMAR GARG	21.01.1994	UR
13	DILJEET SINGH CHARAN	24.11.1993	OBC
14	AMIT PRAJAPAT	05.07.1994	OBC
15	DUSHYANT SINGH GURJAR	21.01.1997	OBC
16	RAKESH KUMAR SAINI	20.07.1994	OBC
17	AKSHAY KUMAR KUMAWAT	01.10.1995	OBC
18	GOVIND KHATIK	05.03.1994	SC
19	RAHUL KUMAR SANKHALA	15.07.1998	SC
20	RAVI KUMAR	03.08.1997	SC
21	SANJAY KUMAR BARWAR	07.09.1995	SC

च-डपकरा गौवल
18/10/2021

उपरोक्त नियुक्ति एनक्जर-"अ" में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी:-

- उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।

2. उनका निरीक्षक पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
3. उनकी निरीक्षक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
4. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं तथा वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या ए. 32022/19/2008-प्रशा.तृतीय.ए दिनांक 19.11.2010 के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवारों की All India Transfer Liability रहेगी।
5. यदि वे संलग्न एनक्जर-“अ” व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक 17.11.2021 को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षक पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:- एनक्जर-“अ”

-हस्ता.-

(चन्द्र प्रकाश गोयल)

प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:- 973

1. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi – 110066 को उनके पत्र F. No. A-12034/SSC/02/2018-Ad.III B दिनांक 15.09.2021 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
3. अधीक्षक (प्रशासन/गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
4. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक(सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
6. निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा उक्त सूची के अनुसार
7. निजी पत्रावली/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
8. महा सचिव, मंत्रालयिक अधिकारी संघ, जयपुर।
9. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

चन्द्र प्रकाश गोयल

18/10/2021

(चन्द्र प्रकाश गोयल)

प्रधान आयुक्त